पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लेटर्स पेटेंट अपील सं.299/2020

दवानी याचिका क्षेत्राधिकार संख्या–7594/2017

= =

मंगल बहादुर पुत्र–स्वर्गीय रामू बहादुर, निवासी मोहल्ला–अस्पताल कॉलोनी, वाल्मीकि नगर, थाना वाल्मीकि नगर, जिला–पश्चिम चंपारण

अपीलार्थी/गण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग (सिंचाई विभाग), बिहार, पटना
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।
4. अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नाहर आंचल, बेतिया, पश्चिम चंपारण।
5. कार्यकारी अभियंता तिरहुत नाहर प्रामंडल नं. 1, बेतिया, पश्चिम चंपारण।
6. जिलाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया।
7. जिलाधिकारी, सह–अध्यक्ष, जिला–अनुकंपा नियुक्ति समिति, पश्चिम चंपारण, बेतिया।
8. उपायुक्त, जिला प्रतिष्ठान, पश्चिम चंपारण, बेतिया।

.... प्रतिवादी/गण

= =

अनुकंपा नियुक्ति–उद्देश्य के लिए मानदंड अनुकंपा नियुक्ति–(रिलायंसःसरकारी शिक्षा विभाग (प्राथमिक) और अन्य के सचिव। बनाम। 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 1564 से उत्पन्न 2021 की सिविल अपील संख्या 7752 (एम. पी. बनाम। आशीष अवस्थी (2022) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 157, पैरा–5 और 6) (एम. पी. बनाम अमित श्रीवास राज्य (2020) 10 एस. सी. सी. 496)।(कंडिका–11,12)।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना–ज्ञापन संख्या 13293 दिनांक 05.10.1991–कंडिका–3–अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। (कंडिका–8,9,10)।

केवल उस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है जो उसके नियंत्रण में नहीं थी। — अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के आवेदन को एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण को भेजा जा रहा था जो कई वर्षों तक नियुक्ति की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर रहा था–अस्वीकृति का आधार–किसी भी योग्यता से रहित–प्रासंगिक कार्यकारी आदेश को ध्यान में नहीं रखा गया–वर्तमान एल. पी. ए. की अनुमति है।(कंडिका–13)।

अपीलार्थी इस विलंबित चरण में अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है क्योंकि मृतक परिवार ने इतने दशकों तक काम चलाया है–अपीलार्थी 3,00,000 रुपये के मुआवजे का हकदार है। आधिकारिक उत्तरदाताओं के सुस्त रवैये के कारण उन्हें बिना किसी गलती के अनुकंपापूर्ण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।(कंडिका–14)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लेटर्स पेटेंट अपील सं.299/2020

दवानी याचिका क्षेत्राधिकार संख्या–7594/2017

= =

मंगल बहादुर पुत्र–स्वर्गीय रामू बहादुर, निवासी मोहल्ला–अस्पताल कॉलोनी, वाल्मीकि नगर, थाना वाल्मीकि नगर, जिला–पश्चिम चंपारण

अपीलार्थी/गण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग (सिंचाई विभाग), बिहार, पटना
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।
4. अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नाहर आंचल, बेतिया, पश्चिम चंपारण।
5. कार्यकारी अभियंता तिरहुत नाहर प्रामंडल नं. 1, बेतिया, पश्चिम चंपारण।
6. जिलाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया।
7. जिलाधिकारी, सह–अध्यक्ष, जिला–अनुकंपा नियुक्ति समिति, पश्चिम चंपारण, बेतिया।
8. उपायुक्त, जिला प्रतिष्ठान, पश्चिम चंपारण, बेतिया।

.... प्रतिवादी/गण

= =

उपस्थिति

अपीलार्थीगण के लिएः श्री दिलीप कुमार झा, अधिवक्ता

श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री सोनू कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः ए.ए.जी–4 के जे.सी.

.= =

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे कैब निर्णय

(निर्णयः माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे)

तिथी 15–03–2024

वर्तमान एल. पी. ए. को के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 7594/2017 में पारित दिनांक 09.05.2018 के फैसले के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके तहत और जिसके अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा दायर दीवानी रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. दीवानी याचिका अधिकारिता में, अपीलार्थी ने निम्नलिखित राहत मांगी हैः

.

(i) एक उपयुक्त याचिका (ओं), आदेश (ओं) या निर्देश (ओं) विशेष रूप से ज्ञापन संख्या 339 दिनांक 02.08.2016 में निहित आदेश को रद्द करने की प्रकृति में। जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति, पश्चिम चंपारण, बेतिया, प्रतिवादी सं. 6, 26.01.1992 पर याचिकाकर्ता के पिता की नियुक्ति के दौरान 26.01.1992 को मृत्यु के बदले में याचिकाकर्ता की अनुकंपापूर्ण नियुक्ति के दावे को अस्वीकार करना।

(ii) एक उपयुक्त याचिका (ओं), आदेश (ओं), निर्देश (ओं) विशेष रूप से अनिवार्य याचिका की प्रकृति में, प्रतिवादी अधिकारियों को सभी

परिणामी लाभों के साथ अनुकंपा के आधार पर किसी भी उपयुक्त पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश देना।

3. संक्षेप में मामले के तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के पिता, अर्थात् रामू बहादुर की नहर श्रम (नाहर मजदूर) के स्थायी पद पर काम करते हुए मृत्यु हो गई और जिसके बाद अपीलार्थी ने 24.12.1995 को प्रतिवादी संख्या–5 के समक्ष अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए एल.पी.ए. दायर किया, तथापि, अपीलार्थी के दावे पर विचार नहीं किया गया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी, मृतक कर्मचारी का पुत्र होने के नाते 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, उसने 24.12.1995 पर सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया।इसने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश की और प्रत्यर्थी प्राधिकारी, प्रत्यर्थी सं। 5 ने ज्ञापन संख्या 710 दिनांकित 13.06.2015 (रिट याचिका का अनुलग्नक–2) के माध्यम से को एक पत्र जारी किया, जिसमें प्रत्यर्थी सं.4 पत्र सं.–1866 दिनांक 04.02.2015 के आलोक में स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के दावे को प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 24 साल बीतने के बाद इस पर विचार नहीं किया जा सकता है और यह उल्लेख किया गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने के लिए कोई सबूत नहीं था और यह भी स्पष्ट नहीं था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने की समय सीमा क्या है और अंत में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया गया है जिसे ज्ञापन संख्या 339 दिनांक 02.08.2016(रिट याचिका का अनुलग्नक–3) के माध्यम से अपीलार्थी को

सूचित किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के दावे को गलत तरीके से इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि इस तथ्य का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि अपीलार्थी ने निर्धारित समय के भीतर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, क्योंकि कार्यकारी अभियंता, तिरहुत नहर प्रभाग का पत्र दिनांक 13.06.2015 (रिट याचिका का अनुलग्नक–2) दिखाएगा कि अपीलार्थी ने 24.12.1995 पर आवेदन दायर किया था।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के दावे को एक अन्य आधार का उल्लेख करके खारिज कर दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 24 साल बीतने के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उक्त अंक पर जोरदार रूप से प्रस्तुत किया कि न तो प्रत्यर्थी प्राधिकारी और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात पर विचार किया है कि क्या प्रत्यर्थी प्राधिकारी की ओर से कोई अड़चन थी जिसने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया को इतने वर्षों तक अवरुद्ध किया है, जैसा कि स्पष्ट है कि संचिका को किसी न किसी उद्देश्य के लिए भेजा जा रहा है, जिसका कारण प्रत्यर्थी प्राधिकारी को सबसे अच्छी तरह से पता है और इस तरह नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हो रही है और अपीलार्थी को वंचित किया जा रहा है, जिसके लिए उसने राहत मांगी है।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के समय लागू नीति की सराहना किए बिना अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के बाद से 25 साल की देरी के आधार पर अपीलार्थी के मामले को खारिज कर दिया है।अतः वर्तमान एल. पी. ए.।

5. प्रत्यर्थी प्राधिकारी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने उक्त आवेदन के साथ कुछ दस्तावेजों को संलग्न करते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन उन सबों को पूर्ण नहीं पाया गया और प्रत्यर्थी नं5 ने अपीलार्थी को पत्र सं.1519 दिनांक 30.12.1995 और अधिक दस्तावेज जमा करने के लिए निर्देश दिया और प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से कुछ प्रश्न किए

और यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी का नया आवेदन प्रत्यर्थी सं. 5 के द्वारा पत्र सं710 दिनांकित 13.06.2015 के माध्यम से अग्रसारित किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति, पश्चिम चंपारण ने 23.06.2016 को आयोजित बैठक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की जाँच की और प्रस्ताव सं.3 के माध्यम से 24 वर्ष की अत्यधिक देरी के आधार पर इसे खारिज कर दिया। और उक्त निर्णय जिलाधिकारी, पश्चिम चंपारण के आदेश द्वारा ज्ञापन संख्या 339 दिनांकित 02.08.2016 के माध्यम से सूचित किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आदेश से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्वयं अत्यधिक देरी के लिए जिम्मेदार है। उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आलोक में, वर्तमान एल. पी. ए. को खारिज किया जा सकता है।

6. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह मामला अपीलार्थी की अनुकंपापूर्वक नियुक्ति से संबंधित है और अपीलार्थी के पिता की वर्ष 1992 में मृत्यु हो गई थी।इसलिए, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि 26.01.1992 को अपीलार्थी के पिता की मृत्यु की तारीख के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य के लिए क्या मानदंड हैं।दोनों में से किसी भी पक्ष ने अभिलेख पर यह पता लगाने के लिए अनुकंपा नियुक्ति/नियमों की योजना क्या है कि मृतक कर्मचारी का नाबालिग पुत्र या बेटी अनुकंपा नियुक्ति के लिए देर से आवेदन करने का हकदार है या नहीं?

7. इसके अलावा, यह पाया गया है कि संबंधित प्राधिकारी ने अपीलार्थी के अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर निर्णय लेने में अपना समय लिया है। और केवल वर्ष 2016 और वर्ष 2018 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वर्ष 1995 में आवेदन के संदर्भ में अस्वीकार कर दिया गया।

8. इस अदालत के आदेश के अनुसार, प्रतिवादी सं. 6 से 8 की ओर से वर्तमान एल. पी. ए. में पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल किए गए हैं। पूरक जवाबी हलफनामे में यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने 24.12.1995 पर संबंधित

प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और उसी दिन प्रधान लिपिक द्वारा इसका सत्यापन किया गया था।प्रत्यर्थी सं. 5 ने 05.02.2013 पर हस्ताक्षर किए और प्रत्यर्थी सं.4 इसके पत्र सं। 927 दिनांकित 01.12.2015 के माध्यम से 8 प्रत्यर्थी सं. के समक्ष आवेदन अग्रेषित किया। प्रत्यर्थी सं. 6 से 8 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापन सं. 13293 दिनांक 05.10.1991 (पूरक जवाबी हलफनामे का अनुलग्नक–सी) की और ज्ञापन संख्या छाया प्रति जमा की गयी। 13293 दिनांकित 05.10.1991 का पैरा सं.–3 यहाँ उद्धृत किया गया हैः .

आवेदन की समया सीमाः

आवेदन देने की कोई समय सीमा नहीं होगी।

लेकिन नियुक्ति पत्र अधिकतम उम्र सीमा की

अहर्ता का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

9. पूरक जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक–सी के रूप में दर्शाए गए दस्तावेज़ से पता चलता है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने के लिए प्रासंगिक समय पर कोई समय सीमा नहीं होगी जब अपीलार्थी के पिता की नियुक्ति के दौरान मृत्यु हो गई थी।यह उत्तरदाता सं. 6 से 8 तक द्वारा पूरक जवाबी हलफनामे के माध्यम से जिसमें ज्ञापन संख्या कहा गया है। अपीलार्थी के मामले में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापन सं. 13293 दिनांक 05.10.1991 लागू होगा।

10. इस अदालत के दिनांकित 29.02.2024 के आदेश के अनुसार, पूरक जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक–सी के रूप में दर्शाया गया दस्तावेज़ प्रतिवादी संख्या 6 से

8 तक के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। और अनुकंपा के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन पर निर्णय लेने के समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा इसकी मांग नहीं की गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 7594 का निर्णय लेते समय प्रासंगिक दस्तावेज की मांग नहीं की है।

11. विशेष अनुमति याचिका (सी.) सं.1564/2021**(सरकार का सचिव, शिक्षा विभाग(प्राथमिक) और अन्य बनाम भीमेश उर्फ मीमापा)** से उत्पन्न सिविल अपील सं. 1564/2021 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक फैसले को उद्धत करना आवश्यक है।

उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में संशोधित योजना की प्रयोज्यता दावे पर विचार की तारीख जैसे अनिश्चित कारक के बजाय मृत्यु की तारीख जैसे एक निश्चित मानदंड पर आधारित होगी।

12. अनुकंपा नियुक्ति के उक्त विषय पर, मध्य प्रदेश राज्य बनाम आशीष अवस्थी (2022) 2 एस. सी. सी. 157 के मामले यह ***पैरा 5 में अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, केवल मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति पर विचार किया जाना आवश्यक है, न कि बाद की नीति को*** उक्त निर्णय के पैरा 6 में, जबकि ***इंडियन बैंक बनाम प्रोमिला (2020) 2 एस. सी. सी. 729*** के मामले पर चर्चा के दौरान यह का अवलोकन और अभिनिर्धारित किया जाता है कि ***अनुकंपा नियुक्ति का निर्णय केवल कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को प्रचलित प्रासंगिक योजना के आधार पर किया जाना चाहिए और बाद की योजना पर विचार नहीं किया जा सकता है।*** इसी तरह का विचार **मध्य प्रदेश राज्य बनाम अमित श्रीवास** ने **(2020) 10 एस. सी. सी. 496** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान एल. पी. ए. में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख 26.01.1992 थी और अपीलार्थी ने 24.12.1995 को अनुकंपा और प्रतिवादी सं. 6 से 8 तक की ओर से दाखिल अनुलग्नक सी के आधार पर दायर किया, जहाँ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल करने की कोई समय समीा नहीं थी। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण को भेजा जा रहा था जो इतने वर्षों से नियुक्ति की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर रहा था और अपीलार्थी उस प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं हो सकता जो उसके नियंत्रण में नहीं थी।अपीलार्थी एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति होने के कारण, जिसने अपने पिता को खो दिया है, उसने वर्ष 1995 में अपना आवेदन दायर किया।जब उन्होंने वर्तमान एल. पी. ए. में पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा भी इससे इनकार नहीं किया गया था। प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृति के आधार पर पहले ही उपरोक्त पैराग्राफ में चर्चा की जा चुकी है, क्योंकि वे किसी भी योग्यता से रहित हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश ने को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कार्यकारी आदेश को भी ध्यान में नहीं रखा है और अनुकंपा नियुक्ति (पूरक जवाबी हलफनामे के लिए अनुलग्नक–सी) और मामले की योग्यता की सराहना किए बिना रिट याचिका को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थियों ने स्वयं स्वीकार किया कि अनुलग्नक–सी वर्तमान मामले में काफी प्रासंगिक था, लेकिन अपीलार्थी के मामले के भाग्य का फैसला करते समय, प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने प्रासंगिक सामग्री (पूरक जवाबी हलफनामे के लिए अनुलग्नक–सी) को ध्यान में नहीं रखा है और प्रत्यर्थी प्राधिकारी और विद्वान एकल न्यायाधीश दोनों गलत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं क्योंकि दोनों ने प्रासंगिक सामग्री को देखे बिना अपीलार्थी के मामले के भाग्य का फैसला किया है जो कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू थी।इसलिए, अपीलार्थी ने 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 7594 में पारित दिनांकित 09.05.2018 निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए एक मामला बनाया है।तदनुसार, 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 7594 को अनुमति दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान एल. पी. ए. को अनुमति दी गई है।

14. अपीलार्थी इस विलंबित चरण में अनुकंपापूर्ण नियुक्ति का हकदार नहीं है, क्योंकि मृतक परिवार ने इतने दशकों तक काम किया है।तथापि, अपीलार्थी बिना किसी दोष के मुआवजे का हकदार है जिसे आधिकारिक उत्तरदाताओं के सुस्त रवैये के कारण अनुकंपापूर्ण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था और 3,00,000–(तीन लाख रुपये)रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया। 3,00,000–(तीन लाख रुपये) का भुगतान इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलार्थी को किया जाएगा, ऐसा न करने पर अपीलार्थी सी. डब्ल्यू. जे. सी. दाखिल करने की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार है।

(पी. बी. भजंत्री,न्यायमूर्ति

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहज़ाद/–

खण्डन (डिस्क्लेमर):– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।